

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- / ग्रा0अ0वि0 / टेके0पंजी0-63 / कनि0सहा0-1 / 18-19, दिनांक- 2019

1101 पंजीकरण संख्या- 395 / श्रेणी-'B' मार्ग / 2019

22-01-19

-: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूट धाम बांदा के पत्र संख्या-858 दिनांक-19-01-2019 से प्राप्त मैसर्स माया बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स, के "B" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स माया बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स (प्रोपराइटर श्रीमती माया तिवारी पत्नी श्री मदन मोहन तिवारी) निवासी-मो0कैलाशपुरी, थाना कोतवाली, तहसील व जिला-बांदा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'B' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट धाम बांदा एवं झांसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा।
- 2-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बांदा।
- 3-समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4-मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5-निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6-मैसर्स माया बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स (प्रोपराइटर श्रीमती माया तिवारी पत्नी श्री मदन मोहन तिवारी) निवासी-मो0कैलाशपुरी, थाना कोतवाली, तहसील व जिला-बांदा (मो0न-9792017486) (ईमेल-madantiwaribanda@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7-अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता(प0क्ष0)



क्र/वर्ग

(पश्चिमी)
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
लखनऊ

22/1/19